अनुसूची 14 – प्रपत्र सं0 563 ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के स

31.1.15

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद

आपूर्ति अपील वाद संख्या–12 / डी0एम0 / 2014

शिव नारायण पासवान वनाम सरकार

आदेश

यह अपील आवेदन शिवनारायण पासवान, पिता मोसाफिर पासवान, ग्राम सोहरैया, थाना–परसविगहा, जिला जहानाबाद के द्वारा आपूर्ति आरोप सं0–43 / 2013 राज्य वनाम शिवनारायण पासवान में दिनांक–08.01.14 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रतनी–फरीदपुर के द्वारा दिनांक–25.09.13 को अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली के दुकान की जांच की गई थी। जांच के क्रम में पाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा एक से अधिक कुपन ले लिया जाता है। बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को 5 किलोग्राम अनाज कम दिया जाता है। अन्त्योदय योजना के तहत 1 किलोग्राम चावल अधिक तथा 6 किलोग्राम चावल कम दिया जाता है। निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा उपभोक्ताओं से लिया जाता है। पत्रांक–1074 / आ0, दिनांक–03.10.13 के द्वारा अपीलार्थी से कारण पृच्छा की मांग की गयी। अपीलार्थी के द्वारा कारण पृच्छा का जवाब सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए दिया। उपभोक्ताओं के द्वारा शपथ पत्र दायर किया गया है जिसमें प्रतिवेदित किया है कि अपीलार्थी (विक्रेता) से कोई शिकायत नहीं है। अपीलार्थी का कहना है कि जांच पदाधिकारी उपभोक्ताओं से सादा कागज पर अंगूठे का निशान लिया गया है। पत्रांक–1361 / आ0, दिनांक–21.11.13 से एक जांच दल गठित कर अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप का जांच करने का आदेश दिया गया। इसके अलावे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा जांच किया गया तथा पत्रांक–1256 / जि0आ0, दिनांक–26.12.13 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सही पाया गया। जांच प्रतिवेदन के आलोक में पत्रांक–1605, दिनांक–26.12.13 के द्वारा कारण पृच्छा की मांग की गई तथा दिनांक–08.01.14 को 3 बजे अपराह्न में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। निर्धारित तिथि को अपीलार्थी उपस्थित होकर कारण पृच्छा का जवाब दाखिल किया परन्तु विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को दिनांक–08.01.14 को रदद कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून सम्मत नहीं है। निम्न न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि सोहरैया पंचायत के उपभोक्ताओं के द्वारा दिये गये शपथ पत्र जिसमें अपीलार्थी (विक्रेता) के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी नियमित राशन किरासन तेल का वितरण निर्धारित मूल्य पर करते हैं। निम्न न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि जो उपभोक्ता राशन लेने नही आये वैसे उपभोक्ताओं के द्वारा कुपन दिखाया गया। जांच दल के द्वारा स्थानीय मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य से कोई पूछताछ नहीं किया गया। निम्न न्यायालय के द्वारा माह जुलाई से नवम्बर 2013 का प्रपत्र–20 पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध न्यायालय से किया है।